# न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हनुमान सहाय मीना, (आर.जे.एस.)

दीवानी वाद संख्या :— 06/2026

काजल कुमारी मीना पत्नी राजकुमार मीना आयु 22 साल निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

**—वादिया**

**बनाम**

राजकुमार मीना पुत्र लीलाधर मीना आयु 24 साल निवासी कुम्हारों के मन्दिर के पास बारां जिला बारां राज0

**—प्रतिवादी**

**वाद बाबत् घोषणा विवाह विच्छेद**

**उपस्थितः**

श्री त्रिलोकीनाथ योगी :— विद्धान अधिवक्ता वादिया की ओर से

प्रतिवादी के विरुद्ध :— एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.03.2026

**निर्णय** **दिनांक 13.05.2026**

**01.** वादिया ने प्रतिवादी के खिलाफ वादपत्र दिनांक 19.02.2026 को बाबत घोषणा विवाह विच्छेद हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका निस्तारण एतद्द्वारा किया जा रहा है।

**02.** वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 सीपीसी बाबत् घोषणा विवाह विच्छेद इस आशय का पेश किया कि वादिया व प्रतिवादी का विवाह दिनांक 23.05.2024 को समाज के रीतिरिवाजानुसार सप्तपदी से ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ में सम्पन्न हुआ था। शादी के समय ही वादिया का गौणा कर ससुराल आती—जाती कर दिया था। विवाह के पश्चात करीब 2 माह तक तो वादिनी व प्रतिवादी के मध्य मधुर दाम्पत्य संबंध रहे, किन्तु विवाह के 2 माह बाद दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद उभरने लगे। इस कारण लड़ाई—झगड़े व कहासुनी होने लग गये। वादिनी को

प्रतिवादी व उसके परिवार वालों ने अगस्त 2024 को अपने घर से निकाल दिया। दोनों ने एक वर्ष से भी अधिक समय से पति–पत्नी के रूप में एक साथ निवास नहीं किया है। वादिया व प्रतिवादी के मध्य एक वर्ष से भी अधिक समय से पत्नी–पति के दाम्पत्य संबंध नहीं रहे है। इस प्रकार वादिया व प्रतिवादी का भविष्य में पति–पत्नी के रूप में एक साथ रहकर जीवनयापन करना संभव नहीं होने के कारण ही वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादिया व प्रतिवादी के मध्य सामाजिक तौर पर दिनांक 03.12.2025 को सहमति से विवाह विच्छेद हो चुका है, जिसका लेख 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाकर अपने–अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है। अतः वादनी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 23.05.2024 को हुए विवाह को विघटीत कर वादनी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

**03.** प्रतिवादी को नोटिस दिए जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं आया। जिस पर उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

**04**. साक्ष्य गवाह में वादिया की ओर से गवाह पी.ड.01 काजल, पी.ड.02 अनिल व पी.ड.03 अनिल के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श.01 सहमति इकरारनामा दिनांक 03.12.2025 को प्रदर्शित करवाया है। बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया गया व संबंधित विधि व न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

**05**. दौराने बहस वादिया के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वादनी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 03.12.2025 को विवाह विच्छेद जर्ये नोटेरी हो चुका है। अतः वादिया के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तलाक की डिक्री पारित फरमाने का निवेदन किया।

**06**. प्रकरण के विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है कि:–

**''आया वादिया प्रतिवादी से सहमति तलाकनामा दिनांकित 03.12.2025 के अनुसार विवाह विच्छेद की घोषणा करवाकर डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?''**

**07**. न्यायालय द्वारा उक्त विचारणीय बिन्दु का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :—

उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए वादिया ने अपने वादपत्र में यह कथन किया है कि विवाह के पश्चात करीब 2 माह तक तो वादिनी व प्रतिवादी के मध्य मधुर दाम्पत्य संबंध रहे, किन्तु विवाह के 2 माह बाद दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद उभरने लगे। इस कारण लड़ाई—झगड़े व कहासुनी होने लग गये। वादिनी को प्रतिवादी व उसके परिवार वालों ने अगस्त 2024 को अपने घर से निकाल दिया। दोनों ने एक वर्ष से भी अधिक समय से पति—पत्नी के रूप में एक साथ निवास नहीं किया है। वादिया व प्रतिवादी के मध्य एक वर्ष से भी अधिक समय से पत्नी—पति के दाम्पत्य संबंध नहीं रहे है। इस प्रकार वादिया व प्रतिवादी का भविष्य में पति—पत्नी के रूप में एक साथ रहकर जीवनयापन करना संभव नहीं होने के कारण ही वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादिया व प्रतिवादी के मध्य सामाजिक तौर पर दिनांक 03.12.2025 को सहमति से विवाह विच्छेद हो चुका है, जिसका लेख 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाकर अपने—अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया है। इसके विपरीत प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा उसकी ओर किसी प्रकार के दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य को पेश नहीं किया गया।

**08.** वादिया के द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 23.05.2024 को ग्राम दौलतपुरा में सप्तपदी रीति रिवाजानुसार उसका विवाह प्रतिवादी के साथ सम्पन्न हुआ था एवं शादी के साथ ही गौणा कर देने से आती—जाती कर दिया था। विवाह के पश्चात करीब 2 माह तक तो प्रतिवादी ने ठीक रखा उसके बाद दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने से रोज कहासुनी, लड़ाई—झगड़ा होने लगा। इस कारण दोनों का एक साथ रहना असंभव हो गया एवं वर्ष 2024 में वादिया को घर से निकाल दिया। दिनांक 03.12.2025 को वादिया व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से समाज के रीतिर रिवाजानुसार विवाह विच्छेद हो गया है। वादिया ने अपने वाद के समर्थन में इकरारनामा दिनांकित 03.12.2025 के गवाहान पी.ड.02 व पी.ड.03 को परीक्षित कराया है। उक्त दोनों गवाहों ने वादिया व प्रतिवादी के मध्य दाम्पत्य संबंध नहीं होने एवं आपसी इकरारनामा दिनांक 03.12.2025 को दोनों के मध्य विवाह—विच्छेद किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया

है एवं वादिया की ओर से जो साक्ष्य पेश की है उसका किसी प्रकार का कोई खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं किया गया है। चूंकि वादिया व उसकी ओर से परीक्षित गवाहों ने सशपथ उक्त तथ्यों के संबंध में कथन कर रहे है एवं आपसी सहमति इकारनामा दिनांकित 03.12.2025 को भी वादिया के द्वारा पेश किया गया है। ऐसे में वादिया के द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। ऐसी सूरत में वादिया के अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतः अखण्डनीय रही है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा तलाक विवाह विच्छेद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

**09**. परिणामतः **वादिया काजल कुमारी मीना** पत्नी राजकुमार मीना आयु 22 साल निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत विवाह विच्छेद विरुद्ध प्रतिवादी राजकुमार इस प्रकार डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि दिनांक 23.05.2024 को वादिया व प्रतिवादी के मध्य सम्पन्न हुए विवाह का विवाह विच्छेद आपसी सहमति इकरारनामा दिनांक 03.12.2025 के द्वारा हो चुका है। खर्चा पक्षकारान स्वयं का वहन करेंगे। पर्चा डिक्री नियमानुसार तैयार किया जावे।

**(हनुमान सहाय मीना)**
**सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़**

**10**. यह निर्णय आज दिनांक 13 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(हनुमान सहाय मीना)**
**सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़**